THE UTTAR PRADESH REGULATION OF COLD STORAGES ACT,

1976[1]

[U. P. Act No. XI of 1976]

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on April 6, 1976 and by the Uttar Pradesh legislative Council in April 7, 1976.

Received the assent of the Governor General on April 16, 1976, under Article 200 of 'the Constitution of India' was published in the Uttar Pradesh Gazette, Extraordinary dated April 19, 1976.]

AN

ACT

to provide for the licensing, supervision and control of cold storages in Uttar Pradesh and for matters connected therewith

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India :-

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title, extent and commencement

1- (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Regulation of Cold Storages Act, 1976.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on September 20, 1975.

Definition

2- In this Act, unless the context otherwise requires-

(a) "agricultural produce" includes products of agriculture or horticulture, animal husbandry or pisciculture and all articles of food or drink wholly or partly made from any of them;

(b) "Board" means the Cold Storages Advisory Board constituted under section 3 ;

(c) "cold storage" means an enclosed chamber insulated and mechanically cooled by refrigeration machinery to provide refrigerated condition to agricultural produce stored therein, but does not include refrigerated cabinets and chilling plants having a capacity of less than 100 cubic metres ;

(d) "hirer" means a person who on payment hires space in a cold storage for storing agricultural produce ;

(e) "licence" means a licence granted under this Act :

(f) "licensee" means any person to whom a licence is granted under this Act ;

(g) "Licensing Officer" means the Director of Horticulture and Fruit Utilization, Uttar Pradesh, and except in the Explanation to section 17 includes--

(1) any other officer of the Horticulture Department, not below the rank of a District Horticulture Officer ;

(2) an officer of the Revenue Department, not below the rank of a Sub-Divisional Officer; empowered by the Director of Horticulture and Fruit

Utilization in his behalf to exercise some or all of the powers of the Licensing Officer under this Act ;

(h) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act ;

(i) "receipt" means a cold storage receipt including a duplicate receipt issued by a licensee under this Act ;

(j) "Tribunal" means the Tribunal constituted under section 35.

CHAPTER II

COLD STORAGE ADVISORY BOARD

Constitution of the Board

3- The State Government shall, by notification, constitute a Cold Storage Advisory Board, which shall consist of the following members, namely :-

(a)The Agricultural Production Commissioner, Uttar Pradesh who shall be the Chairman of the Board ;

(b) A representative of the Agricultural Marketing Advisor to the Government of India ;

(c) The Director of Industries, Uttar Pradesh;

(d) The Registrar, Co-operative Societies, Uttar Pradesh;

(e) The Director of Mandis, Uttar Pradesh, Lucknow; and

(f) The Director of Horticulture and Fruit Utilization, Uttar Pradesh who shall also act as Secretary.

Duties and function of the Board

4- (1) The Board shall discharge the following duties and functions, namely :-

(a) to advise the State Government on policy matters relating to the licensing of cold storages and matters connected therewith;

(b) to make suggestions to the State Government in respect of scientific planning, maintenance, development and expansion of cold storages and to suggest proper steps for co-ordination of cold storage facilities in the State ;

(c) to advise the State Government in the matter of fixation, from time to time, of maximum charges for storing agricultural produce in the cold storage; and

(d) to advise the State Government on such other matters as may be referred to the Board by the State Government, or as may be prescribed.

(2) The business of the Board shall be conducted in such manner as may be prescribed.

CHAPTER III

LICENSING OF COLD STORAGES

Restrictions on carrying on the business of cold Storage

5- On and after such dates as the State Government may, by notification appoint in that behalf, no person shall carry on the business of storing any agricultural produce in a cold storage except under and in accordance with the terms and conditions of a licence granted under this Act.

[The Uttar Pradesh Regulation of Cold Storages Act, 1976] [Section 6-9]

Application for licence

6- (1) Every application for a licence under this Act shall be made in the prescribed form to the licensing Officer and shall be accompanied by the prescribed fee.

(2) No licence under this Act shall be granted, if it appears to the Licensing Officer that--

(a) the cold storage does not conform to the prescribed specifications;

(b) the cold storage is not suitable for storage of the class of goods for which it is intended ;

(c) the application is not accompanied by the prescribed fee;

(d) the applicant is guilty of any fraud or misrepresentation;

(e) the applicant has been convicted of any offence under this Act, or the rules made thereunder.

Terms and renewal of licence

7- (1) A licence granted under section 6 shall be valid for such period, as may be prescribed, and may on application made in that behalf and upon payment of the prescribed fees, be renewed, from time to time, by the Licensing Officer for such further period as may be prescribed.

(2) No licence granted under this Act shall be renewed if it appears to the Licensing Officer that--

(a) any of the grounds mentioned in sub-section (2) of section 6 exists ;

(b) the licensee is guilty of breach of the provisions of this Act or the rules made thereunder ;

(c) that the application involves a breach of any direction issued by the State Government under section 44.

Suspension cancellation of a licencs

8- (1) A licence granted under this Act, may be suspended or cancelled, if it and appears to the Licensing Officer that-

(a) any of the grounds mentioned in sub-section (2) of section 7 exists

;

(b) the licencee has parted wholly or partly with the possession or control of the cold storage or that he has ceased or run it.

(2) Where any licence is suspended or cancelled, the licensee shall not be entitled to any compensation therefor nor he shall be entitled to any refund of any fee paid by him for the licence.

Permission for construction of a new cold storage

9- (1) No person shall construct any new cold storage without obtaining prior permission from the Licensing Officer, for such Construction.

(2) Every application for permission under sub-section (1) shall be made in the prescribed form to the Licensing Officer and shall be accompanied by the prescribed fee.

(3) The Licensing Officer shall, while granting the permission under sub-section (1), have regard to –

[The Uttar Pradesh Regulation of Cold Storages Act, 1976] [Section 10-14]

(a) the number of cold storages operating in the area in which the cold storage is sought to be constructed;

(b) availability of agricultural produce in such area ;

(c) any other matter which may be prescribed.

(4) The Licensing Officer may, while granting permission under sub-section (1), impose such conditions as he may consider necessary.

Orders to contain reasons

10- (1) Every order refusing to grant the licence under section 6, or refusing to renew the licence under section 7, or suspending or canceling the licence under section 8, or refusing permission under section 9, shall be in writing and shall

contain the reasons in support thereof.

(2) Before making an order referred to in sub-section (1), the Licensing Officer shall give the licensee or the applicant, as the case may be, a reasonable opportunity of being heard:

Provided that when immediate action is required in public interest, the Licensing Officer may, for reasons to be recorded, suspend a licence without any notice under this section.

Duplicate licencc

11- Where a licence is lost, destroyed, torn, defaced or otherwise becomes illegible, the Licensing Officer shall in the manner prescribed and on payment of the prescribed fee, issue a duplicate licence.

CHAPTER IV

RIGHTS AND DUTIES OF A LICENSEE

Reasonable care of goods deposited

12- Every licensee shall take such care of to be goods stored in his cold storage as a man of ordinary prudence would take of his own goods under similar circumstances and conditions.

Duty to exhibit capacity of the cold storage

13- Every licensee shall, before the commencement of business every day, display and exhibit in the prescribed manner on or near the main entrance of cold storage the following information in respect of the cold storage :-

(a) total capacity of cold storage (both in area and tonnage) ;

(b) capacity physically occupied (both in area and tonnage)

(c) vacant capacity (both in area and tonnage).

Acceptance of goods for deposit as

14- (1) No licensee shall accept for storage, agricultural produce which is likely to cause damage to other agricultural produce which is, or may be stored in the cold storage and if any question arises whether any agricultural produce is such is likely to cause damage as aforesaid, it shall be referred to the Licensing Officer whose decision shall be final:

Provided that a licensee shall not refuse to store potato seed of *bona fide* Horticulture Department or a Block Development Officer, as the case may be, on the ground that it is likely to cause damage to other agricultural produce.

(2) Subject to the provisions of sub-section (1), no licensee shall refuse to accept agricultural produce for storage in his cold storage without any lawful excuse.

Explanation-- The refusal to accept any agricultural produce on the ground that the space in the enclosed chamber, though physically vacant, is booked in favour of any other person, shall not be deemed to be a "lawful excuse" within the meaning of this section.

Preservation identity of same goods

15- Every licensee shall keep in his cold storage the agricultural produce of one of hirer separate from such produce of other hirer and from other produce of the hirer for which a separate receipt has been issued, so as to permit at all times the identification and easy delivery thereof :

Provided that where standardized and graded goods are stored in the cold storage, the same variety of goods belonging to the same or different hirer may, subject to any contract to the contrary, be pooled together and each hirer shall be

entitled only to his portion of the goods according to weight or quantity as the case may be, as shown in his receipt, less any *driage* or shrinkage up to the limit fixed under Explanation to section 17.

Licence to allow facilities for the hirer to inspect goods

16- Every licensee shall allow, during such hours as the Licensing Officer may by order direct, necessary facilities to a hirer or his nominee to inspect and satisfy himself that his goods are properly cared for.

Goods deterioration in cold storage and their disposal

17- (1)Whenever goods stored in a cold storage begin to deteriorate or are likely to deteriorate from a cause beyond the control of the licensee, or where the hirer fails to take delivery of the goods stored in the cold storage within a period of fifteen days from the date specified there for in the receipt, the licensee shall forthwith give notice thereof to the hirer, requiring him to take delivery of the goods immediately after surrendering the receipt duly discharged and paying all charges due to the licensee, and send a copy of such notice to the Licensing Officer.

(2) Where the hirer fails to comply with the notice referred to in sub-section (1) within a period of seven days from the date of service thereof, the licensee may cause the goods to be removed from the cold storage and sold by public auction at the cost and risk of their hirer:

Provided that the licensee shall give notice of the sale to the Licensing Officer at least forty-eight hours before such sale, and the Licensing Officer shall supervise such sale either himself or through an officer authorized by him in that behalf.

Explanation- Loss of weight or bulk by *driage* or shrinking or gain of weight or bulk by absorption of moisture shall be deemed to amount to deterioration within the meaning of this section, if the loss or gain exceeds such limits as the Licensing Officer may, from time to time, having regard to the climatic conditions of different areas, fix by notification published in the *Gazette*.

(3) If there is any excess in the weight or bulk of an agricultural produce stored in a cold storage by absorption of moisture or other causes, the licensee shall not be entitled to such excess.

[The Uttar Pradesh Regulation of Cold Storages Act, 1976] [Section 18-25]

Intimation regarding condition of goods

18- Any person having an interest in any goods stored in a cold storage or in the receipt covering such goods may inform the licensee in writing of the fact and nature of his interest and the licensee shall keep a record thereof and if such person requests in writing that intimation be given to him regarding the condition of goods and agrees to pay the prescribed charges for giving such intimation, the licensee shall be bound to give him intimation accordingly.

Delivery of goods

19- (1) Every licensee shall on demand made by or on behalf of the hirer, deliver the goods stored in the cold storage, provided the hirer surrenders the receipt and pays all charges due to the licensee.

(2) Every receipt so surrendered to the licensee shall be defaced and shall not be reissued.

(3) Subject to an agreement between the parties, the hirer may take partial delivery of the goods stored in a cold storage and in every such case, the licensee shall make necessary endorsement on the receipt and return it to the hirer.

Licensee's lien 20- Every licensee in possession of the goods in his cold storage is entitled to retain possession thereof until the receipt therefor is surrendered and necessary charges are duly paid in accordance with section 19.

Licensee not to 21- No licensee shall, except with the written authority of the hirer, pledge or pledge or deal in otherwise deal in goods received by him for storage in the cold storage.

the goods in cold storage without the authority of the hirer

Rate of interest 22- If any money is lent by the licensee to a hirer against the goods stored by on loan a hirer some hirer in the cold storage, the rate of interest, in no case, shall be higher than one-half of one per cent per annum simple interest over the current rate of interest charged by the State Bank of India, at the time of the loan, for like purposes in respect of advances made by it against goods pledged in its favour.

Insurance 23- Every licence shall insure the agricultural produce stored in his cold storage against loss or damage by fire, breakdown (whether mechanical or otherwise) or such other like cause.

Compensation 24- Except as otherwise provided in this Act the licensee shall be liable to pay to for loss, destru- the hirer compensation for every loss, destruction, damage, deterioration or non-ction, etc. delivery of the goods stored in his cold storage caused by the negligence, misconduct or default on the part of such licensee.

Dispute 25- (1) Every dispute regarding compensation payable by the licensee under regarding section 24 shall be referred to the Licensing Officer, and subject to the result of compensation appeal, if any, under section 36, the order of the Licensing Officer shall be final.

to be referred

to the (2) When the Licensing Officer is satisfied that any compensation payable by Licensing a licensee under sub-section (1) has not been paid within thirty days from the date Officer of the order under sub-section (1) or, as the case may be, from the date of the decision of the Tribunal under section 36, he shall issue a certificate of recovery to the Collector, and the Collector shall recover the amount of such compensation together with costs of recovery as arrears of land revenue and pay the amount realised, after deduction of costs, to the hirer.

[The Uttar Pradesh Regulation of Cold Storages Act, 1976] [Section 26-33]

Prohibition 26- No licensee shall take or receive, for storage or any other service rendered to from recovery the hirer, any amount over and above [the charges fixed under section 29][1].

of excess amount

Licensee to 27- Every licensee shall maintain account books and records in such form and maintain manner as may be prescribed

account books

Power of 28- Every licensee shall be bound to comply with such directions of the Licensing Licensing Officer under this Act as may be issued by him from time to time for carrying out

Officer to issue the purposes of this Act.

directions

CHAPTER V
Service Charges

[Maximum charges in 29- (1) Every licensee shall, from time to time, fix the maximum charges for storing agricultural produce in the cold storage or for any other service rendered in connection therewith, and different charges may be fixed for different agricultural produce.

(2) Every licensee shall display and exhibition or near the maintenance of the cold storage the charges fixed under sub-section (1), and shall also delivery copy thereof in the office of the Licensing Officer.

(3) If the State Government is of the opinion that the charges fixed by a licensee under sub-section (1) are unreasonably high, then notwithstanding the provisions of sub-section (1), the State Government may, by a notified order, fix the maximum charges for the purposes of sub-section (1) with respect to such licensee and the charges so fixed by the State Government shall be effective for the remaining part of the financial year in which they are fixed.][2]

30- [***][3]

Board's report to be considered 31- Where a Board has been constituted under section 3, the State Government shall consider its report before fixing the [charge under sub-section (3) of section 29.][4]

CHAPTER VI

Cold Storage Receipt

Duty to issue receipt 32- Every licensee shall issue, in the form prescribed, a receipt for the agricultural produce stored in his cold storage.

Cold storage receipt transferrable by endorsement and delivery 33- The receipt referred to in section 32, shall, unless it is otherwise specified therein be transferable by endorsement and delivery and shall entitle the holder in due course to receive the goods specified in it as it he was the original hirer.

1. Substituted by section 2 of U.P. Act No. 2 of 1997.
2. Substituted by section 3 ibid.
3. Omitted by section 4 ibid.
4. Subs. by section 5 ibid.

Duplicate receipt 34- If a receipt is lost, destroyed, torn, defaced, or otherwise becomes illegible, the licensee shall, on an application made by the hirer and upon payment of the prescribed fee, issue a duplicate receipt subject to such conditions, if any, as may be prescribed.

CHAPTER VII

Tribunal

Constitution of Tribunal 35- There shall be a Tribunal consisting of the following members, namely :-

(a)the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India, who shall be the Chairman;

(b) the Legal Remembrance to the Government of Uttar Pradesh or an Officer of his department nominated by him not below the rank of Joint Legal Remembrance;

(c) the Secretary to the Government in the Agriculture Department or an officer of that department nominated by him not below the rank of Joint Secretary.

Appeal 36- Any person aggrieved by an order of the Licensing Officer refusing to grant a licence under sub-section (2) of section 6, or refusing to renew it under sub-section (2) of section 7 or suspending or canceling it under sub-section (1) of section 8, or refusing permission under section 9, or deciding a dispute referred to in sub-section (1) of section 14 or in sub-section (1) of section 25, may prefer an appeal to the Tribunal within thirty days from the date of communication of such order, and the decision of the Tribunal thereon shall be final.

CHAPTER VIII
Penalties and Procedure

Penalty 37- Whoever contravenes any provision of this Act or any rule, order or direction made thereunder shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both.

offences by companies 38- (1) If the person committing an offence under this Act is a company, the company as well as every person in charge of, and responsible to the company for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly :

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all the diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of any managing agent secretary, treasurer, director, manager or other officer of the company, such managing agent, secretary, treasurer, director, manager or other officer of the company shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation-- For the purpose of this section --

(a) "Company" means any body corporate, and includes a firm or other association of individuals; and

(b) "Director" in relation to a firm, means a partner in the firm.

Cognizance of offence 39- (1) Every offence punishable under this Act shall be cognizable.

(2) No court inferior to that of a Magistrate of the first class shall try any such offence.

CHAPTER IX

Miscellaneous

Power of Licensing Officer 40- The Licensing Officer may-

(a) require any licensee to furnish such information as he may specify in respect of the cold storage owned or run by such licensee;

(b) enter upon and inspect or cause to be inspected any cold storage, its machinery and equipment, goods stored therein, and the account books and records relating thereto, for the purpose of satisfying himself that the requirements of this Act and the rules made thereunder are being complied with;

(c) collect samples of agricultural produce stored in any cold storage and get them analysed, examined or tested in any laboratory selected for the purpose.

Protection of acts in good faith

41- (1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made thereunder.

(2) No suit or other legal proceeding shall lie against the State Government for any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made thereunder.

Savings as to orders

42- No order made in exercise of any power conferred by or under this Act, shall be called in question in any court.

Effect of Act and Rules, etc. inconsistent with other enactments and instruments

43- The provision of this Act or any rule made thereunder, shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any enactment other than this Act or in any contract, or in any other instrument having effect by virtue of any enactment other than this Act.

Directions by State Government

44- In the discharge of his duties under this Act, the Licensing Officer shall carry out such directions of the State Government on matters of policy as may be issued by the State Government from time to time *suo motu* or on the advice of the Board.

44-A [***][1]

Rules

45- (1) The State Government may, by notification in the *Gazette,* make rules for carrying out the purposes of this Act, including any rules prescribing fees in respect of any proceeding under this Act.

(2) All rules made under this Act shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature while it is in session, for a total period of not less than thirty days comprised in its one session or more than one successive sessions, and shall, unless some later date is appointed take effect, from the date of their publication in the *Gazette*, subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may, during the said period, agree to make, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

Repeal and savings

U. P. Ordinance 7 of 1976

46- (1) The Uttar Pradesh Regulation of Cold Storages Ordinance, 1976, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal or the repeal of the Uttar Pradesh Regulation of Cold Storages Ordinance, 1975 by the Ordinance mentioned in sub-section (1) anything done or any action taken under the said Ordinances shall be deemed

to this have been done or taken under the corresponding provisions of this Act as if Act were in force at all material times.

1. Omitted by section 6 of U.P. Act No. 2 of 1997.

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976

{उत्तर प्रदेश अधिनियम 11, 1976}

THE UTTAR PRADESH REGULATION OF COLD STORAGES ACT, 1976

[U. P. Act XI of 1976]

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976[1]

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1976}

{उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 6 अप्रैल, 1976 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 7 अप्रैल, 1976 की बैठक में स्वीकृत किया।

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 16 अप्रैल, 1976 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी (असाधारण) गजट में दिनांक 19 अप्रैल, 1976 को प्रकाशित हुआ।}

उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेजों को लाइसेंस देने, उनका पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने और उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय – 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 20 सितम्बर, 1975 से प्रवृत्त समझा जायगा।

परिभाषाएं

2 –– जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :–

(क) 'कृषि उत्पाद' के अन्तर्गत कृषि या उद्यान के उत्पाद, पशुपालन या मत्स्य संवर्धन और ऐसे समस्त खाद्य या पेय पदार्थ हैं, जो पूर्णतया या अंशतया इनमें से किसी से निर्मित हों ;

(ख) ''बोर्ड'' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित कोल्ड स्टोरेज सलाहकार बोर्ड से है;

(ग) 'कोल्ड स्टोरेज' का तात्पर्य ऐसे परिबद्ध कक्ष से है, जो इन्सुलेटेड हो और रेफ्रीजरेशन मशीनरी द्वारा यांत्रिक रूप से शीतित हो, जिससे वहां पर स्टोर किए हुए कृषि उत्पाद को रेफ्रीजरेशन की अवस्था उपलब्ध हो सके, किन्तु इसके अन्तर्गत वे रेफ्रीजरेशन कैबिनेट तथा शीतकारी संयंत्र (चिलिंग प्लान्ट्स) नहीं है, जिनकी क्षमता 100 घन मीटर से न्यून हो;

(घ) 'किरायादाता' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो कोल्ड स्टोरेज में कृषि उत्पाद को स्टोर करने के लिये प्रभार देकर स्थान किराये पर ले;

(ङ) 'लाइसेंस' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त लाइसेंस से है;

(च) 'लाइसेंसधारी' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है, जिसे इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्रदान किया जाय;

(छ) 'लाइसेंस अधिकारी' का तात्पर्य उद्यान एवं फलोपयोग निदेशक, उत्तर प्रदेश से है, और धारा 17 के स्पष्टीकरण के सिवाय इसके अन्तर्गत उद्यान एवं फलोपयोग निदेशक द्वारा उसकी ओर से इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस अधिकारी की किसी या सभी शक्ति का प्रयोग करने के लिये सशक्त निम्नलिखित अधिकारी भी है :––

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए सरकारी असाधारण गजट, दिनांक 8 अप्रैल, 1976 ई0 देखिये।

{उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976} {धारा 3–5}

(1) उद्यान विभाग का कोई अन्य अधिकारी, जो जिला उद्यान अधिकारी के पद से नीचे का न हो;

(2) राजस्व विभाग का कोई अधिकारी, जो परगना अधिकारी के पद पद से नीचे का न हो ;

(ज) 'विहित' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है;

(झ) 'रसीद' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन लाइसेंसधारी द्वारा दी गई कोल्ड स्टोरेज की रसीद से है और इसके अन्तर्गत रसीद की दूसरी प्रति भी है ;

(ञ)'अधिकरण' का तात्पर्य धारा 35 के अधीन गठित अधिकरण से है।

अध्याय – 2

कोल्ड स्टोरेज सलाहकार बोर्ड

3—– राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक कोल्ड स्टोरेज सलाहकर बोर्ड गठित करेगी, जिसमें गठन निम्नलिखित सदस्य होंगे; अर्थात् : – बोर्ड का

(क) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जो बोर्ड का सभापति होगा ;
(ख) भारत सरकार के कृषि मण्डी सलाहकर का एक प्रतिनिधि;
(ग) उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश;
(घ) निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश;
(ङ) मण्डी निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ; और
(च) उद्यान एवं फलोपयोग निदेशक, उत्तर प्रदेश जो सचिव का भी कार्य करेगा।

4—– (1) बोर्ड निम्नलिखित कर्त्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन करेगा :– बोर्ड के कर्त्तव्य और कृत्य

(क) कोल्ड स्टोरेजों को लाइसेंस देने से संबंधित नीति–विषयक मामलों और उससे सम्बद्ध विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देना;

(ख) कोल्ड स्टोरेजों के वैज्ञानिक नियोजन, अनुरक्षण, विकास और विस्तार के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव देना और राज्य में कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं के समन्वय के लिये उचित कार्यवाही का सुझाव देना;

(ग) कोल्ड स्टोरेज में कृषि उत्पाद को स्टोर करने के लिये समय–समय पर अधिकतम प्रभार नियत करने के विषय में, राज्य सरकार को सलाह देना; और

(घ) राज्य सरकार को ऐसे अन्य विषयों पर, जो राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को निर्दिष्ट किये जायं, या जो विहित किये जांय, सलाह देना।

(2) बोर्ड का कार्य विहित रीति से संचालित किया जायगा।

अध्याय –3

कोल्ड स्टोरेज को लाइसेंस देना

5—– ऐसे दिनांक को और उसके द्वारा पश्चात् जैसा राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उस कारबार निमित्त नियत करे, कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त लाइसेंस की शर्तों और निबन्धनों के अधीन और अनुसरण के सिवाय, कोल्ड स्टोरेज में किसी कृषि उत्पाद को स्टोर करने का कारबार नहीं करेगा। कोल्ड स्टोरेज का करने पर निर्बन्धन

{उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976} {धारा 6–9}

6—– (1)इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस के लिए प्रत्येक आवेदन–पत्र लाइसेन्स अधिकारी को विहित प्रपत्र में और विहित फीस के साथ दिया जायगा। लाइसेंस के लिए आवेदन–पत्र

(2)इस अधिनियम के अधीन कोई लाइसेंस नहीं दिया जायगा, यदि लाइसेंस अधिकारी को यह प्रतीत हो कि –

(क) कोल्ड स्टोरेज विहित विनिर्देशों के अनुरूप नहीं है;
(ख) कोल्ड स्टोरेज उस वर्ग के माल को स्टोर करने के उपयुक्त नहीं है, जिसके लिए यह आशयित है ;
(ग) आवेदन–पत्र के साथ विहित फीस नहीं है ;
(घ) आवेदक किसी कपट या दुर्व्यदेशन का दोषी है ;
(ङ) आवेदक, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी अपराध के लिये सिद्धदोष हुआ है।

7—– (1)धारा 6 के अधीन प्रदत्त लाइसेंस विहित अवधि के लिये, विधिमान्य होगा, और उस निमित्त आवेदन–पत्र और विहित फीस के देने पर लाइसेंस अधिकारी द्वारा, समय–समय पर, अग्रतर अवधि के लिये नवीकृत किया जा सकता है। लाइसेंस की अवधि और नवीकरण विहित

(2) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त लाइसेंस नहीं किया जायगा, यदि लाइसेंस अधिकारी को यह प्रतीत हो कि –

(क) धारा 6 की उपधारा (2) में उल्लिखित कारणों में से कोई कारण विद्यमान है;

(ख) लाइसेंसधारी इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करने का दोषी है;

(ग) आवेदन–पत्र से धारा 44 के अधीन राज्य सरकार द्वारा किये गये किसी निदेश का उल्लंघन होता है।

8—— (1) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त लाइसेंस निलम्बित या रद्द किया जा सकता है, यदि लाइसेंस अधिकारी को यह प्रतीत हो कि — लाइसेंस का निलम्बन और रद्द किया जाना

(क) धारा 7 की उपधारा (2) में उल्लिखित कारणों में से कोई कारण विद्यमान है ;

(ख) लाइसेंसधारी ने कोल्ड स्टोरेज के कब्जा या नियंत्रण को पूर्णतः या अशंतः अन्तरित कर दिया है या उसने उसको चलाना बन्द कर दिया है।

(2) जहां कोई लाइसेंस निलम्बित या रद्द किया जाय वहां लाइसेंसधारी न तो उसके लिए किसी प्रतिकर का हकदार होगा, न लाइसेंस के लिये अपने द्वारा दी गयी किसी फीस को वापस पाने का हकदार होगा।

9—— (1) कोई व्यक्ति कोई नया कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिये लाइसेंस अधिकारी से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना उसे नहीं बनायेगा। नया कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिये अनुज्ञा

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए प्रत्येक आवेदन–पत्र विहित प्रपत्र में और विहित फीस के साथ लाइसेंस अधिकारी को दिया जायगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा देते समय लाइसेंस अधिकारी निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा :–

(क) जिस क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज बनाने की मांग है, उस क्षेत्र में परिचालित कोल्ड स्टोरेजों की संख्या;

(ख) ऐसे क्षेत्र में कृषि उत्पाद की उपलब्धता;

(ग) कोई अन्य विषय, जो विहित किए जायं;

(4) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा देते समय लाइसेंस अधिकारी ऐसी शर्तें आरोपित कर सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

10—— (1) धारा 6 के अधीन लाइसेंस देने से इंकार करने या धारा 7 के अधीन लाइसेंस के नवीकरण से इंकार करने या धारा 8 के अधीन लाइसेंस निलम्बित या रद्द करने या धारा 9 के अधीन अनुज्ञा देने से इंकार करने का प्रत्येक आदेश लिखित होगा और उसमें उसके समर्थन में कारण दिए जायेगें। आदेश में कारण दिये जायेंगे

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश देने के पूर्व लाइसेंस अधिकारी, यथास्थिति, आवेदक, या लाइसेंसधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा :

परन्तु जब लोक हित में तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो तब लाइसेंस अधिकारी, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, इस धारा के अधीन किसी नोटिस के बिना कोई लाइसेंस निलम्बित कर सकता है।

11—— जहां कोई लाइसेंस खो जाय, नष्ट हो जाय, फट जाय, विरूपित हो जाय या अन्यथा अपठनीय हो जाय, वहां लाइसेंस अधिकारी विहित रीति से और विहित फीस देने पर लाइसेंस की दूसरी प्रति जारी कर सकता है। लाइसेंस की दूसरी प्रति

अध्याय – 4

लाइसेंसधारी के अधिकार और कर्त्तव्य

12—— प्रत्येक लाइसेंसधारी अपने कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किए गए माल की देखभाल उसी प्रकार करेगा, जिस प्रकार कि सामान्य बुद्धि का व्यक्ति समान परिस्थितियों और दशाओं में अपने माल की देखभाल करता है। जमा किए गए माल की युक्ति–युक्त देखभाल

13—— प्रत्येक लाइसेंसधारी प्रतिदिन अपना कारोबार प्रारम्भ करने के पूर्व, कोल्ड स्टोरेज के प्रवेश द्वार पर या उसके निकट कोल्ड स्टोरेज के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना प्रदर्शित करेगा – कोल्ड स्टोरेज की क्षमता प्रदर्शित करने का कर्त्तव्य

(क) कोल्ड स्टोरेज की कुल क्षमता (क्षेत्रफल और टन भार दोनों में);

(ख) वस्तुतः अध्यासित क्षमता (क्षेत्रफल और टन भार दोनों में);

(ग) रिक्त क्षमता (क्षेत्रफल और टन भार दोनों में)।

14—— (1) कोई लाइसेंसधारी, स्टोर करने के लिए, कृषि उत्पाद ग्रहण नहीं करेगा, जिससे कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किए गए या किये जाने वाले अन्य कृषि उत्पाद को क्षति पहुंचने की सम्भावना हो और यदि यह प्रश्न उठे कि कोई कृषि उत्पाद ऐसा है कि उससे उपर्युक्त प्रकार की क्षति होने की सम्भावना है तो वह लाइसेन्स अधिकारी को निर्दिष्ट किया जायगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा : जमा करने के लिए माल स्वीकार करना

परन्तु लाइसेन्सधारी, यथास्थिति, उद्यान विभाग के राजपत्रित अधिकारी या खण्ड विकास अधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में और रीति से इस प्रकार प्रमाणित वास्तविक कृषकों के आलू के बीज को इस आधार पर स्टोर करने से इन्कार नहीं करेगा कि इससे अन्य कृषि उत्पाद को क्षति पहुंचने की सम्भावना है।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई लाइसेंसधारी विधिपूर्ण कारण के बिना अपने कोल्ड स्टोरेज में कृषि उत्पाद को ग्रहण करने से इन्कार नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण – इस धारा के अर्थान्तर्गत किसी कृषि उत्पाद को ग्रहण करने से इस आधार पर इन्कार करना विधिपूर्ण कारण नही समझा जाएगा कि यद्यपि परिबद्ध कक्ष रिक्त है किन्तु किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में सुरक्षित है।

15–– प्रत्येक लाइसेंसधारी अपने कोल्ड स्टोरेज में प्रत्येक किरायादाता के कृषि उत्पाद को का अन्य किरायादाता के ऐसे उत्पाद से तथा उसी किरायादाता के अन्य उत्पाद से, जिसके लिए पृथक रसीद दी गई हो, अलग रखेगा जिससे कि जमा माल सभी समय पर पहुंचाना जा सके और उसे सुगमतापूर्वक दिया जा सके : माल की पहचान परिरक्षण

परन्तु जहां कोल्ड स्टोरेज में मानकीकृत और श्रेणीकृत माल स्टोर किए जाएं वहां एक या विभिन्न किरायादाता का एक ही प्रकार का माल, किसी प्रतिकूल संविदा के अधीन रहते हुए, एक साथ रखा जा सकता है और उसमें से प्रत्येक किरायादाता, यथास्थिति, तौल या परिमाण के अनुसार जैसा उसकी रसीद में उल्लिखित हो, धारा 17 के स्पष्टीकरण के अधीन निश्चित सीमा तक सूखा या संकुचन को कम करते हुए, केवल अपना भाग पाने का हकदार होगा।

16–– प्रत्येक लाइसेंसधारी ऐसे समय में, जैसा लाइसेंस अधिकारी आदेश द्वारा निदेश दे, किरायादाता किसी किरायादाता या उसके नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति को अपने माल का निरीक्षण करने और अपना यह निरीक्षण करने समाधान करने की सुविधा देगा कि उसके माल की उचित देखभाल की जाती है। लाइसेंसधारी को माल का की सुविधा देगा

17–– (1) जब कभी किसी कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया गया माल ऐसे कारण से जो लाइसेंसधारी के नियंत्रण से परे हो, खराब होने लगे या उसके खराब हो जाने की संभावना हो, या उसका किरायादाता कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये माल को रसीद में उसके लिये विनिर्दिष्ट दिनांक से, पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर न उठाये तो लाइसेंसधारी किरायादाता को तुरन्त उसका नोटिस देगा, जिसमें उससे सम्यक् रूप से उन्मोचित रसीद अभ्यर्पित करने और लाइसेंसधारी को देय समस्त प्रभार का भुगतान करने के पश्चात् माल को तुरन्त उठाने की अपेक्षा की जायगी, और ऐसे नोटिस की एक प्रति लाइसेंस अधिकारी को भेजेगा। कोल्ड स्टोरेज में माल खराब होना और निस्तारण

(2)जहां किरायादाता उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस का पालन उसे तामील किये जाने के दिनांक से सात दिन की अवधि के भीतर न करे, वहां लाइसेसधारी माल को कोल्ड स्टोरेज से हटवा सकता है और उसे किरायादाता के खर्च और जोखिम पर सार्वजनिक नीलाम द्वारा बिकवा सकता है :

परन्तु लाइसेंसधारी लाइसेन्स अधिकारी को ऐसी बिकी की सूचना बिक्री के कम से कम अड़तालीस घन्टे पूर्व देगा, और लाइसेन्स अधिकारी ऐसी बिकी का पर्यवेक्षण या तो स्वयं या अपने द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से करेगा।

स्पष्टीकरण – सूखा या संकुचन द्वारा तौल या भार में कमी या नमी सोखने के कारण तौल या भार में वृद्धि को इस धारा के अर्थान्तर्गत खराब होना समझा जायगा, यदि उक्त कमी या वृद्धि ऐसी सीमा से अधिक हो, जिसे लाइसेंन्स अधिकारी समय–समय पर विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके निश्चित करे।

(3) यदि नमी सोखने या अन्य कारण से कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये कृषि उत्पाद की तौल या भार अधिक हो जाय तो लाइसेंन्सधारी ऐसे आधिक्य का हकदार न होगा।

{उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976} {धारा 18–25}

18–– कोई व्यक्ति जिसका किसी कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये माल में या ऐसे माल से में सम्बन्धित किसी रसीद में कोई हित हो, लाइसेंन्सधारी को इस तथ्य और अपने हित के स्वरूप से लिखित रूप से अवगत करा सकता है और लाइसेंन्सधारी उसका अभिलेख रखेगा, और यदि ऐसा व्यक्ति लिखित रूप से यह निवेदन करे कि उसे माल की दशा के सम्बन्ध में प्रज्ञापन किया जाय और ऐसे प्रज्ञापन के लिये वह विहित प्रभार देने के लिये सहमत हो तो लाइसेंन्सधारी उसे तदनुसार प्रज्ञापन करने के लिये बाध्य होगा। माल की दशा के सम्बन्ध प्रज्ञापन

19–– (1) प्रत्येक लाइसेन्सधारी किरायादाता द्वारा या उसकी ओर से मांग किये जाने पर परिदान कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये माल का परिदान करेगा, परन्तु किरायादाता रसीद अभ्यर्पित करे और लाइसेंन्सधारी को देय समस्त प्रभार का भुगतान करे। माल का

(2)लाइसेंन्सधारी को इस प्रकार अभ्यर्पित प्रत्येक रसीद विरूपित कर दी जायेगी और पुनः जारी नहीं की जायगी।

(3) पक्षकारों के मध्य किसी करार के अधीन रहते हुए, किरायादाताा कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये माल का परिदान आंशिक रूप से ले सकता है और प्रत्येक ऐसे मामले में लाइसेंन्सधारी रसीद पर उसका आवश्यक पृष्ठांकन करके उसे किरायादाता को लौटा देगा।

20—— प्रत्येक लाइसेंन्सधारी, जिसका कब्जा अपने कोल्ड स्टोरेज मे माल पर हो, उस समय स्वत्व तक उस पर कब्जा रखने का हकदार होगा जब तक कि धारा 19 के अनुसार उसकी रसीद अभ्यर्पित न कर दी जाय और आवश्यक प्रभार का सम्यक भुगतान न कर दिया जाय। लाइसेंन्सधारी का

21—— कोई लाइसेंन्सधारी किरायादाता के लिखित प्राधिकार के सिवाय कोल्ड स्टोरेज में स्टोर स्टोरेज किये जाने के लिये प्राप्त माल को न तो गिरवी रखेगा और किसी अन्य प्रकार से उसके सम्बन्ध में कोई के व्यवहार करेगा। न व्यवहार

लाइसेंन्सधारी कोल्ड में रखे गये माल को किरायादाता के प्राधिकार बिना न गिरवी रखेगा और उसके सम्बन्ध मे कोई करेगा

22—— यदि लाइसेंन्सधारी कोल्ड स्टोरेज में किरायादाता द्वारा स्टोर किये गये किसी माल पर पर किसी किरायादाता को कोई धन उधार दे तो ब्याज की दर, किसी भी दशा में, उधार देते समय ऐसे ही प्रयोजनों के लिये स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा अपने पक्ष में गिरवा रखे गये माल के सम्बन्ध में ली जाने वाली चालू ब्याज की दर के अतिरिक्त एक प्रतिशत के आधे प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से अधिक नहीं होगी। किरायादाता के उधार ब्याज की दर

23—— प्रत्येक लाइसेंन्सधारी अपने कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये कृषि उत्पाद का आग, बीमा टूट–फूट (चाहें वह यांत्रिक या अन्य प्रकार का हो) या ऐसे ही अन्य कारण से होने वाली हानि या क्षति के लिये बीमा करायेगा।

24—— इस अधिनियम में अन्यथा की गई व्यवस्था के सिवाय, लाइसेंन्सधारी किरायादाता को लिए अपने कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये माल के सम्बन्ध में ऐसे लाइसेंन्सधारी द्वारा की गयी उपेक्षा, अवचार या व्यतिक्रम के कारण हुई प्रत्येक हानि, नाश, क्षति, खराबी या माल के अपरिदान के लिये प्रतिकर का देनदार होगा। हानि, नाश, आदि के प्रतिकर

25—— (1) धारा 24 के अधीन लाइसेंन्सधारी द्वारा देय प्रतिकर सम्बन्धी प्रत्येक विवाद लाइसेंन्स विवाद अधिकारी को निर्दिष्ट किया जायगा और धारा 36 के अधीन अपील के, यदि कोई हो, परिणाम के अधीन को लाइसेंन्स अधिकारी का आदेश अन्तिम होगा। प्रतिकर सम्बन्धी लाइसेन्स अधिकारी निर्दिष्ट किया जायगा

(2) जब लाइसेन्स अधिकारी का यह समाधान हो जाय कि उपधारा (1) के अधीन लाइसेंन्सधारी द्वारा देय किसी प्रतिकर का भुगतान उपधारा (1) के अधीन आदेश के दिनांक से या, यथास्थिति, धारा 36 के अधीन अधिकरण के विनिश्चय के दिनांक तीस दिन के भीतर नहीं किया गया है, तब वह कलेक्टर को वसूली का प्रमाण–पत्र जारी करेगा और कलेक्टर वसूली के खर्च सहित ऐसे प्रतिकर की राशि को भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूल करेगा और वसूल की गयी राशि का भुगतान, उसमें से खर्च काटने के पश्चात्, किरायादाता को करेगा।

26—— कोई लाइसेंन्सधारी स्टोर करने या किरायादाता के प्रति की गई किसी अन्य सेवा के वसूली लिए, {धारा 29 के अधीन निश्चित प्रभार}₁ के अतिरिक्त कोई राशि नहीं लेगा। अतिरिक्त राशि की का प्रतिषेध

27—— प्रत्येक लाइसेंन्सधारी विहित प्रपत्र में और रीति से लेखा–बही और अभिलेख रखेगा। लाइसेंन्सधारी लेखा–बही रखेगा

28—— प्रत्येक लाइसेंन्सधारी, इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स अधिकारी के ऐसे निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगा, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए उसके द्वारा समय–समय पर जारी किये जायं। लाइसेंन्स अधिकारी की निदेश जारी करने की शक्ति

अध्याय — 5

सेवा प्रभार

{29—— प्रत्येक लाइसेंन्सधारी समय–समय पर कोल्ड स्टोरेज में कृषि उज्पाद को स्टोर करने के लिए या उसके सम्बन्ध में की गई किसी अन्य सेवा के लिये अधिकतम प्रभार निश्चित करेगा और विभिन्न कृषि उत्पाद के लिए विभिन्न प्रभार निश्चित किये जा सकते है। अधिकतम प्रभार

(2) प्रत्येक लाइसंसेधारी उपधारा (1) के अधीन निश्चित प्रभार कोल्ड स्टोरेज के मुख्य प्रवेश द्वारा पर या उसके निकट प्रदर्शित करेगा और उसकी एक प्रति लाइसेंस अधिकारी के कार्यालय में भी देगा।

(3) यदि राज्य सरकार की राय हो कि उपधारा (1) के अधीन किसी लाइसेंसधारी द्वारा निश्चित प्रभार अयुक्तियुक्त अधिक है तो उपधारा (1) के उपबन्धों के होते हुए भी, राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे लाइसेंसधारी के सम्बन्ध में उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए अधिकतम

प्रभार निश्चित कर सकती है और राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार निश्चित प्रभार उस वित्तीय वर्ष, जिसमें वे निश्चित किये जायं, के शेष भाग के लिए प्रभावी होंगे।}2

30–– {***}3

31–– जहां धारा 3 के अधीन बोर्ड गठित किया गया हो, वहां राज्य सरकार {धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन प्रभार}4 निश्चित करने के पूर्व उसकी आख्या पर विचार करेगी। बोर्ड की आख्या पर विचार किया जाना

अध्याय– 6

कोल्ड स्टोरेज की रसीद

32–– प्रत्येक लाइसेंन्सधारी अपने कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये कृषि उत्पाद के लिये विहित प्रपत्र में रसीद देगा। रसीद देने का कर्त्तव्य

33–– धारा 32 में निर्दिष्ट रसीद, जब तक कि उसमें अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, पृष्ठांकन और परिदान द्वारा अन्तरणीय होगी, और यथा समय उसका धारक उसमें विनिर्दिष्ट माल प्राप्त करने का हकदार होगा मानों वह मूल किरायादाता हो। कोल्ड स्टोरेज की रसीद पृष्ठांकन और परिदान द्वारा अन्तरणीय होगी

1.उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1997 की धारा 2 प्रतिस्थापित।
2.उपर्युक्त की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
3.उपर्युक्त की धारा 4 द्वारा निकाला गया।
4.उपर्युक्त की 5 द्वारा प्रतिस्थापित।

34–– यदि कोई रसीद खो जाय, नष्ट हो जाय, फट जाय, विरूपित हो जाय या अन्य प्रकार अपठनीय हो जाय तो लाइसेंन्सधारी किरायादाता द्वारा आवेदन–पत्र और विहित फीस देने पर, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जो विहित की जायं, रसीद की दूसरी प्रति जारी करेगा। रसीद की दूसरी प्रति से

अध्याय – 7

अधिकरण

35–– एक अधिकरण होगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:– अधिकरण का गठन

(क) भारत सरकार का कृषि मण्डी सलाहकार, जो सभापति होगा;

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार के विधि परामर्शो या उनके द्वारा नाम–निर्दिष्ट उनके विभाग का कोई अधिकारी, जो संयुक्त विधि परामर्शी के पद से नीचे का न हो;

(ग) सरकार के कृषि विभाग के सचिव या उनके द्वारा उस विभाग का नाम–निर्दिष्ट कोई अधिकारी, जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो।

36–– धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन लाइसेंन्स देने से इन्कार करने या धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन उसका नवीकरण करने से इन्कार करने या धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन उसे निलम्बित या रद्द करने, या धारा 9 के अधीन अनुज्ञा देने से इन्कार करने या धारा 14 की उपधारा (1) या धारा 25 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवाद के विनिश्चय विषयक लाइसेंन्स अधिकारी के आदेश से व्यक्ति कोई व्यक्ति ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अधिकरण को अपील कर सकता है, और उस पर अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा। अपील

अध्याय – 8

शास्तियां और प्रक्रिया

37–– इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम, आदेश या निदेश के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति सिद्ध–दोष होने पर कारावास से, जो दो वर्ष तक हो सकता है या जुर्माने से जो दस हजार रूपये तक हो सकता है, या दोनों से दण्डित किया जायगा। शास्ति

38–– (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला, व्यक्ति कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध किये जाने के समय उस कम्पनी के कार्य–संचालन के लिये प्रभारी और उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी उस अपराध का दोषी माना जायगा और तद्नुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा : कम्पनियों द्वारा अपराध

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से ऐसा कोई व्यक्ति किसी दण्ड का भागी नहीं होगा, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के लिए जाने का निवारण करने के लिये सब तत्परता करती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जब कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो अैर यह साबित हो जाय कि वह अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबन्ध अभकर्त्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया या उपेक्षाजनित है तो वह प्रबन्ध अभिकर्त्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी माना जायेगा और तदनुसार कार्यवाही किए जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनों के लिए —

(क) ''कम्पनी'' का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है; और

(ख) ''निदेशक'' का तात्पर्य किसी फर्म के संबंध में, उस फर्म के भागीदार से है।

39—— (1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा। अपराध का संज्ञान

(2) प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न वर्ग का कोई न्यायालय ऐसे किसी अपराध पर विचार नहीं करेगा।

अध्याय —9

प्रकीर्ण

40—— लाइसेंन्स अधिकारी —

लाइसेंन्स अधिकारी की शक्ति

(क) किसी लाइसेंन्सधारी से ऐसी सूचना, जिसे वह लाइसेंन्सधारी के स्वामित्व में या उसके द्वारा चलाये जाने वाले कोल्ड स्टोरेज के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है;

(ख) अपना यह समाधान करने के उद्देश्य से कि इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षाओं का पालन किया जा रहा है। किसी कोल्ड स्टोरेज में प्रवेश कर सकता है और उसका, उसकी मशीन तथा सज्जा, उसमें स्टोर किये गये माल, और उससे सम्बन्धित लेखा—बहियों और अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है, या उनका निरीक्षण करा सकता है;

(ग) किसी कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये कृषि उत्पाद के नमूने ले सकता है और इस प्रयोजन के लिए निर्धारित की गयी किसी प्रयोगशाला में उनका विश्लेषण, परीक्षण या जांच करा सकता है।

41—— (1) किसी व्यक्ति के विरूद्ध इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के गये अधीन सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। सद्भावना से किए कार्य का संरक्षण

(2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य से हुई किसी क्षति के लिए या जिसके होने की सम्भावना हो, राज्य सरकार के विरूद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

42—— इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अथवा इसके अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करके दिये गये में किसी आदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी। आदेशों के सम्बन्ध अपवाद

43—— इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम का उपबन्ध प्रभावी होगा, भले और ही इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति में, या किसी अन्य संविदा में, या किसी अन्य लिखत में, हुए जिसका इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति के कारण प्रभाव हो, कोई असंगत बात हो। नियम

अन्य अधिनियमितियों लिखत से असंगत होते भी अधिनियम और आदि का प्रभाव

{उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976} {धारा 44—46}

44—— इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में लाइसेंन्स अधिकारी नीति निदेश संबंधों विषयों पर राज्य सरकार के ऐसे निदेशों का पालन करेगा, जिन्हें राज्य सरकार स्वंय या बोर्ड की सलाह से जारी करे। राज्य सरकार द्वारा

44—क—— {***}1

45—— (1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है, जिनके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में फीस विहित करने के सम्बन्ध में कोई नियम भी है। नियम

(2)इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जबकि उसका सत्र हो रहा हो, कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त, जो उसके एक सत्र या एक से अधिक आनुकमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकती है, रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक नियत न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

46—— (1) उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं 7,1976

(2) ऐसे निरसन या उपधारा (1) में उल्लिखित अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अध्यादेश, 1975 के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कार्यवाही इस अधिनियम के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1997 की धारा 6 द्वारा निकाला गया।